संख्या-1/2016/070/18-2-2016-51(एस0पी0)/2010

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
उत्तर प्रदेश कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 28 जनवरी, 2016

विषय- दर अनुबन्ध की केन्द्रीयकृत व्यवस्था को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (पूर्व नाम उद्योग निदेशालय उ0प्र0) स्तर पर लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-153/एस0पी0एस0-7/एफ0/2015-16, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश में राज्य सरकार के सामग्री क्रय नियमों के अधीन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (पूर्व नाम उद्योग निदेशालय उ0प्र0) के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली दिनांक 31-3-2011 तक लागू थी जिसके अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की नियमित आवश्यकता को देखते हुए दर अनुबन्ध की कार्यवाही की जाती थी किन्तु शासनादेश संख्या-352/18-2-2011-4(एस0पी0)/2010, दिनांक 31-3-2011 द्वारा उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रभावी दर अनुबन्ध की केन्द्रीयकृत व्यवस्था को समाप्त कर विकेन्द्रीकृत करते हुए सभी प्रकार के दर अनुबन्ध राजकीय विभागों को अपने स्तर से करने हेतु अधिकृत कर दिया गया।

2- दर अनुबन्ध की व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करने के पश्चात अधिकांश विभागों द्वारा अपने स्तर से दर अनुबन्ध व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका है। दर अनुबन्ध की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था से प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा एक ही आईटम का अलग-अलग दर अनुबन्ध करने पर अलग-अलग दर निर्धारित होने की सम्भावना रहती है व उद्यमियों को एक ही आइटम हेतु अलग-अलग विभागों की निविदाओं में भाग लेना पड़ता है तथा धरोहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि/जमानत धनराशि जमा करनी पड़ती है जिससे एक ओर उद्यमियों को असुविधा होती है तथा दूसरी ओर इसका प्रभाव निविदा की दरों पर भी पड़ता है।

3- अतः दर अनुबन्ध की विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था में परिलक्षित कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में शासकीय क्रय प्रणाली में एक रूपता, सरलता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दर अनुबन्ध की केन्द्रीयकृत व्यवस्था को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (पूर्व नाम- उद्योग निदेशालय) के स्तर पर बहाल करते हुये आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 को राज्य क्रय संगठन (स्टेट परचेज आर्गनाइजेशन) नामित किया जाता है।

4- विभिन्न विभागों में वर्ष पर्यन्त उपयोग में आने वाली सामग्री का दर अनुबन्ध (रेट कान्ट्रेक्ट) केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 के स्तर से किया जायेगा।

5- वर्तमान में प्रचलित दर अनुबन्ध की व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों के स्तर से किये गये दर अनुबन्ध, उसकी वैधता अवधि तक यथावत् मान्य होगा।

6- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के स्तर से मदवार केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध जारी होने की तिथियों से शासनादेश संख्या-352/18-2-2011-4(एस0पी0)/2010, दिनांक 31-3-2011 का क्रियान्वयन उक्त सीमा तक निरस्त समझा जायेगा।

7- केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण, संबंधित प्राविधानों के स्पष्टीकरण तथा संशोधन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा।

8- दर अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु संलग्नक-1 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में दर अनुबन्ध विषयक सिद्धान्त एवं प्रक्रिया वर्णित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2016/070/18-2-2016-51(एस0पी0)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम /द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों व प्राधिकरणों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।

7- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–1

दर अनुबन्ध

1– दर अनुबन्ध (आमतौर पर आर0सी0 के रूप में जाना जाता है) क्रेता एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य दर अनुबन्ध की अवधि में निर्धारित मूल्य,नियम एवं शर्तो के अधीन निर्दिष्ट वस्तुओं (एवं सम्बद्ध सेवाओं यदि कोई हो) की आपूर्ति के लिए एक समझौता है। दर अनुबन्ध में न तो मात्रा का उल्लेख होता है और न ही न्यूनतम आहरण की गारन्टी होती है। दर अनुबन्ध आपूर्तिकर्ता फर्म से स्थाई प्रकृति के रूप में प्रस्ताव है। फर्म एवं/अथवा क्रेता एक दूसरे को समुचित नोटिस देकर दर अनुबन्ध रद्द/वापस लेने हेतु अधिकृत होता है। हालॉकि दर अनुबंन्ध के अन्तर्गत उसकी वैधता अवधि में यदि निश्चित मात्रा की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को आदेश दिये जाते हैं तो वह आपूर्ति आदेश वैध एवं बाध्यकारी अनुबन्ध हो जाता है।

2– विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवर्ती आधार पर सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली मानक प्रकार की चिन्हित सामग्री का दर अनुबन्ध राज्य खरीद संगठन (एस0पी0ओ0) द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ निर्णीत किया जायेगा। राज्य खरीद संगठन (एस0पी0ओ0) द्वारा दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में सभी प्रासॉगिक जानकारी वेवसाइट पर दी जायेगी तथा अद्यतन रखी जायेगी। विभागों द्वारा दर अनुबन्ध का अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग किया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में दर अनुबंधित सामग्री की आपूर्ति विभाग द्वारा सीधे आपूर्तिकर्ता से ली जाती है तो सामग्री का मूल्य दर अनुबंन्ध की दर से अधिक नहीं होगा तथा अन्य प्रमुख नियम एवं शर्ते दर अनुबन्ध में निर्धारित नियम एवं शर्तो के अनुरूप होगी। आवश्यक होने पर सामग्री के निरीक्षण एवं परीक्षण (टेस्टिंग) हेतु विभाग द्वारा अपनी स्वयं की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य खरीद संगठन (एस0पी0ओ0) द्वारा केता विभागों के उपयोगार्थ सभी दर अनुबंधित सामग्री के विवरण, मानक दरें एवं अन्य मुख्य विवरण वेवसाइट पर पोस्ट किये जायेगें तथा समुचित रूप से अद्यतन रखे जायेगें।

3– सामग्री जिनके दर अनुबंध राज्य खरीद संगठन (एस0पी0ओ0) द्वारा निर्णीत किये जायेगें।

(1) विभिन्न विभागों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली सामग्री जिसकी आवर्ती आधार पर आवश्यकता होती है।

(2) सामग्री जिसकी दरें स्थिर रहने की सम्भावना हो अथवा जहॉ कच्चेमाल की बाजार दरों में उतार–चढाव के क्रम में प्राइज वैरीएशन के प्राविधान सहित दर अनुबन्ध किया जा सकता हो।

(3) ऐसी सामग्री जिसके लिए दर अनुबन्ध सुविधाजनक हो तथा वार्षिक आहरण किफायती हों।

नोट–1

सामग्री का मूल्य कम होने एवं उपभोक्ता को सामग्री की कम मात्रा में आवश्यकता होने के मामले में दर अनुबन्ध नहीं किया जा सकता है।

नोट–2

दुर्लभ/क्रिटीकल/सदैव कम मात्रा में उपलब्ध सामग्री का दर अनुबन्ध न किया जाये।

सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले अधिक से अधिक आईटमों को दर अनुबन्ध पर लाना।

4– राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) द्वारा सामान्य रूप से उपयेग में आने वाले अधिक से अधिक आईटमों को दर अनुबन्ध पर लाया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) द्वारा नियमित रूप से व्यापार (ट्रेड) एवं उपयोगकर्ता विभागों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। दर अनुबन्ध पर नये आईटमों को लाने पर विचार करने हेतु राज्य खरीद संगठन (एस0पी0ओ0) द्वारा समन्वित एक स्थायी समीक्षा समिति(स्टेन्डिंग रिव्यू कमेटी) होगी, जिसमें प्रमुख मॉगकर्ता विभाग, व्यापार संगठन एवं सम्भावित आपूर्तिकताओं के प्रतिनिधि होगें।

नेट डीलर मूल्य पर छूट के आधार पर दर अनुबन्ध किया जाना

5– राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) द्वारा आटो मोवाइल्स, मशीन टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद ओ0ई0एम0एवं एन्सिलरी पुर्जे स्पेयर्स तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जहाँ विभिन्न निर्माताओं के उत्पाद, सामग्री की डिजाइन,परफारमेन्स, पैरामीटर इत्यादि में पर्याप्त भिन्नता हो, यहाँ तक कि एक ही निर्माता (उत्पादक) के विभिन्न माड्ल में भिन्नता हो एवं जहाँ इस तरह के उत्पादों के मूल्यों की तुलना सम्भव न हो, के लिये राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) द्वारा नेट डीलर मूल्य पर छूट के आधार पर दर अनुबन्ध किये जायेगें।

दर अनुबन्ध की अवधि

6– सामान्य रूप से स्थिर प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के लिए दर अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। हालाँकि विशेष मामलों में कम अथवा लम्बी अवधि पर विचार किया जा सकता है। यथा सम्भव दर अनुबन्ध के समाप्त होने की अवधि इस तरह से निर्धारित की जाय, जिससे यह सुनिश्चित हो सके, कि बजटीय लेवी से मूल्य प्रभावित न हो, ताकि दर अनुबन्ध प्रभावित न हो सके। राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना किसी रूकावट (ब्रेक) के दर अनुबन्ध उपलब्ध रहें।

दर अनुबन्ध निर्गत किये जाने हेतु मानदण्ड

7— दर अनुबन्ध उन फर्मों के पक्ष में जारी किया जायेगा जो प्रश्नगत सामग्री हेतु पंजीकृत हो तथा बी0आई0एस0मार्क एवं सम्पूर्ण राज्य में सेवा केन्द्र की उपलब्धता सहित इंगित पात्रता एवं योग्यता के मापदण्डों को पूरा करते हों। इस आशय की समुचित मदों का समावेश निविदा प्रपत्रों में किया जायेगा। ऐसे नये आईटमों जो दर अनुबन्ध में पहली बार लाये जा रहे है तथा कोई पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (प्रश्नगत आईटम हेतु) नहीं हैं, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पंजीकरण की आवश्यकता को शिथिल किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता के पक्ष में इस प्रकार का दर अनुबन्ध आपूर्तिकर्ता की सन्तोषजनक तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता के आधार पर किया जायेगा।

8— वॉछित सामग्री हेतु कुछ निविदादाता (जो सम्बधित आईटम हेतु पंजीकृत हैं) वर्तमान दर अनुबन्ध धारक एवं/ अथवा पूर्व में दर अनुबन्ध धारक रह चुके हो सकते हैं। नये दर अनुबन्ध में सम्मिलित करने से पूर्व उनकी पूर्व एवं वर्तमान दर अनुबन्ध में परफॉरमेन्स की गम्भीरतापूर्वक समीक्षा की जायेगी। इस उद्देश्य से निश्चित तिथि तक विशिष्ट प्रर्दशन एवं उपलब्धि के ऑकलन हेतु प्रक्रिया विकसित की जायेगी, जिसका समावेश निविदा प्रपत्रों में भी किया जायेगा। निविदादाताओं को प्रार्षोंगिक विवरण (अपनी निविदा के साथ) प्रस्तुत करने हेतु कहा जायेगा ताकि क्रेता द्वारा पूर्व एवं वर्तमान दर अनुबन्ध के विरूद्ध परफॉरमेन्स एवं उपलब्धियों का ऑकलन किया जा सके। सम्बधित निविदा प्रपत्रों में सम्मिलित करने हेतु कय की योजना बनाने के चरण में केता विभाग द्वारा उक्त मानदण्ड विकसित/तय किये जायेगें।

दर अनुबन्ध के लिए लागू विशेष शर्तें

9— दर अनुबन्ध की कुछ शर्ते मात्रा अनुबन्ध (एडहाक कान्ट्रेक्ट) की सामान्य शर्तों से भिन्न होती हैं। दर अनुबन्ध की महत्वपूर्ण विशेष शर्ते निम्नवत् हैः—

(1) आवश्यकताओं की अनुसूची में मात्रा का उल्लेख नहीं किया जाता है। बिना किसी प्रतिबद्धता के केवल अनुमानित आहरण का उल्लेख किया जा सकता है।

(2) राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) एक ही आइटम के लिये एक से अधिक दर अनुबन्ध निर्गत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(3) राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) के साथ साथ आपूर्तिकर्ता एक दूसरे को समुचित नोटिस देकर दर अनुबन्ध वापस ले सकते हैं। सामान्य तौर पर नोटिस की निर्धारित अवधि 30 दिन होती है।

(4) राज्य खरीद संगठन(एस0पी0ओ0) के पास दर अनुबन्ध धारकों से दरों के सम्बन्ध में पुनः बातचीत करने का विकल्प है।

(5) आपात स्थिति में केता विभाग नये आपूर्तिकर्ता से उसी आइटम का मात्रा अनुबन्ध (एडहाक कान्ट्रेक्ट) के माध्यम से कय कर सकता है।
(6) दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की शर्त सामान्यतः उ0प्र0 में कही भी एफ0ओ0आर0 गन्तव्य स्थान होती है। ऐसा इसलिए, क्योकि राज्य खरीद संगठन (एस0पी0ओ0)द्वारा निर्णीत दर अनुबन्ध सम्पूर्ण राज्य में फैले उपभोगकर्ताओं के लिए होते हैं।
(7) दर अनुबन्ध के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त करने हेतु आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की निश्चित मात्रा के साथ साथ दर अनुबन्ध की अन्य सभी आदेश निर्गत किये जायेगें।
(8) क्रेता एवं दर अनुबन्ध का अधिकृत उपयोगकर्ता दर अनुबन्ध की वैधता तिथि के अन्तिम दिन तक आपूर्ति आदेश निर्गत करने हेतु अधिकृत हैं।यद्यपि इस प्रकार के आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध, आपूर्ति, दर अनुबन्ध की वैधता अवधि के बाद होती है तथापि सम्पूर्ण आपूर्ति दर अनुबन्ध के नियम एवं शर्तो द्वारा निर्दिष्ट होगी।
(9) दर अनुबन्ध "फाल क्लॉज" द्वारा निर्दिष्ट होगा।

<u>समानान्तर दर अनुबन्ध (पैरलल रेट कान्ट्रेक्टस)</u>

10– यदि यह महसूस किया जाता है कि एकल आपूर्तिकर्ता किसी आइटम की सम्पूर्ण मॉग की पूर्ति करने की क्षमता नहीं रखता है तो दर अनुबन्ध निर्गमन प्राधिकारी उसी आइटम हेतु अलग अलग आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक से अधिक दर अुनबन्ध कर सकता है। इस प्रकार के दर अनुबन्ध समानान्तर दर अनुबन्ध (पैरलल रेट कान्ट्रेक्ट) के रूप में जाने जाते हैं।

<u>समानान्तर दर अनुबन्ध सहित दर अनुबन्ध निर्णीत किया जाना</u>

11– दर अनुबंध निर्णीत करने की तकनीक मूल रूप में एडहाक कान्ट्रेक्ट (मात्रा अनुबन्ध) के समान हैं, दर अनुबन्ध निर्णीत करने हेतु समान निविदा प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकता है। बशर्ते उसमें दर अनुबन्ध हेतु आवश्यक विशेष शर्तो का समावेश किया जाय। सामान्य अवस्था में न्यूनतम दर वाले उत्तरदायी निविदादाता (एल–1) के पक्ष में दर अनुबन्ध किया जाता है हालॉकि आइटम की अनुमानित मॉग उपयोगकर्ता का स्थान, उत्तरदायी निविदादाताओं की क्षमता एवं दी गयी दरों की औचित्यता आदि के परिप्रेक्ष्य में समानान्तर अनुबन्ध निर्गत करना भी आवश्यक हो सकता है। इस उद्देश्य से एल–1 की दरों के सापेक्ष एक औचित्यपूर्ण दर परिधि (प्राईज बैण्ड) निर्धारित की जाती है एवं इस दर परिधि में आने वाले निविदादाताओं के पक्ष में समानान्तर दर अनुबन्ध निर्णीत किये जाते हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में समानान्तर दर अनुबन्ध निर्णीत करने का प्रयास करना चाहिए। पारदर्शिता के लिए एवं आलोचना से बचने के लिये उक्त सभी दर अनुबन्ध एक साथ जारी किये जाते हैं।

दरों के सम्बन्ध में बातचीत/जवाबी प्रस्ताव (प्राईज निगोशिएसन/काउन्टर आफर)

12– निविदादाताओं के साथ दरों के सम्बन्ध में बातचीत करने को गम्भीर रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हॉलाकि यदि न्यूनतम दर वाले उत्तरदायी निविदादाता (एल–1) द्वारा दी गयी दरें औचित्यपूर्ण एवं स्वीकार्य योग्य नहीं है तो केवल न्यूनतम दर वाली इकाई से दरों के सम्बन्ध में बातचीत की जा सकती है और यदि उसके द्वारा वॉछित स्तर तक दरें कम कर दी जाती है तो एल–1 के पक्ष में दर अनुबन्ध निर्णीत किया जा सकता है।

13– ऐसी स्थिति हो सकती है जहॉ समानान्तर दर अनुबन्ध आवश्यक है, यद्यपि एल–1 की दरें औचित्यपूर्ण है परन्तु समुचित दर परिधि में आने वाले निविदादाता अपर्याप्त हों, इस तरह की स्थिति में समाधान हेतु राज्य खरीद संगठन (एस0पी0ओ0) द्वारा बातचीत (निगोशिएसन) एवं जवाबी प्रस्ताव (काउन्टर आफर) की पेशकश हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जा सकती है :–

प्रारम्भ में एल–1 वाले निविदादाता के पक्ष में दर अनुबन्ध किया जा सकता है। उसके बाद एल–1 वाली इकाई को सूचित करते हुए एल–1 की दरें उच्च दर वाले उत्तरदायी निविदादाताओं को आफर करते हुए सील्ड कवर में संशोधित निविदा, जो निश्चित स्थान, तिथि एवं समय पर खोली जानी है, (सामान्य मानक प्रक्रियानुसार) भेजने की पेशकश की जा सकती है। एल–1 वाली इकाई को विशेष रूप से सूचित किया जा सकता है कि यदि वह इच्छुक हों तो अपनी दरें कम करके उपर्युक्तानुसार संशोधित निविदा भेज सकते हैं। काउन्टर आफर की गयी दरें अथवा उससे कम दरें स्वीकार करने वाले निविदादाताओं के पक्ष में समानान्तर दर अनुबन्ध निर्गत किया जायेगा। यदि एल–1 वाली इकाई संशोधित आफर में अपनी दरें कम करती है तो उसे स्वीकार करते हुए उक्त तिथि से उसके पक्ष में निर्गत दर अनुबन्ध में तदनुसार संशोधन किया सकता है।

14– ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहॉ समानान्तर दर अनुबन्ध आवश्यक है परन्तु उत्तरदायी निविदादाता की न्यूनतम दरें एल–1 भी औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम एल–1 वाली इकाई से दरों के सम्बन्ध में बातचीत की जा सकती है। यदि एल–1 वाली इकाई वॉछित स्तर तक दरें कम करने पर सहमत होती हैं तो इसके पक्ष में दर अनुबन्ध निर्णीत किया जा सकता है तथा ऊपर दिये गये पैरा के अनुरूप एल–1 वाली इकाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित करते हुए उक्त दरें अन्य निविदादाताओं को आफर की जा सकती हैं। हालॉकि यदि एल–1 वाली इकाई प्रथमतः दरें कम करने हेतु सहमत नहीं होती हैं तो तय की गयी औचित्यपूर्ण दरें सभी उत्तरदायी निविदादाताओं (एल–2 सहित) को

उपर्युक्त तर्ज पर अग्रिम कार्यवाही हेतु काउन्टर आफर की जा सकती है।

कार्टेल फारमेशन/पूल दरें

15– कभी कभी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत निविदादाताओं के एक समूह द्वारा एक समान दरें दी जाती है। इस प्रकार का पूल/कार्टेल गठन प्रतिस्पर्धी निविदाओं के आधारभूत सिध्दान्तों के विरूद्ध है तथा खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रणाली के उद्देश्यों को असफल करता है। इस प्रकार के व्यवहारों को मजबूत उपायों के साथ गम्भीर रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी फर्मो के विरूद्ध, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाय, केश टू केश के आधार पर समुचित प्रशासनिक कार्यवाही यथा निविदाओं को निरस्त करना, रजिस्टार आफ कम्पनीज, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि को मामला संदर्भित करना आदि कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए। विभागों द्वारा इस प्रकार की अस्वस्थ प्रथाओं को सम्बधित व्यापार संघों यथा फिक्की, एशोचैम, एन0एस0आई0सी0 इत्यादि के संज्ञान में लाया जा सकता है तथा अन्य विषयों में इस प्रकार की फर्मो के विरूद्ध उपयुक्त कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा सकता है। विभागों द्वारा कार्टेल बनाने वाली फर्मो एवं कम्पनीज के एकाधिकारिक रवैया को तोड़ने हेतु सम्बधित आईटम के लिये नई फर्मो/ कम्पनीज को पजीकृत किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

फाल क्लास(पतन खण्ड)

16– फाल क्लाज दर अनुबन्ध के अन्तर्गत एक मूल्य सुरक्षातंत्र है। फाल क्लास यह कहता है कि यदि दर अनुबन्ध धारक अपनी दरें कम करता है अथवा दर अनुबधित आइटम को दर अनुबन्ध की अवधि में दर अनुबन्ध की शर्तो पर दर अनुबन्ध से कम दरों पर किसी व्यक्ति अथवा संगठन को बेचा या बेचने की यदि पेशकश भी की जाती है तो उस तिथि से दर अनुबन्ध की दरें दर अनुबन्ध के अन्तर्गत बाद की आपूर्ति हेतु स्वतः कम हो जायेगी एवं दर अनुबन्ध तद्नुसार संशोधित किया जायेगा। अन्य समानान्तर दर अनुबन्ध धारक यदि कोई है को भी कम हुई दरों की सूचना देकर 15 दिनों का समय देते हुए अपनी संशोधित दरें सूचित करने का अवसर दिया जायेगा। यदि वे इसके लिए इच्छुक हों तो अपनी संशोधित दरें बन्द लिफाफे में जो सार्वजनिक रूप से निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जाना है, सूचित करेगें तथा अग्रिम कार्यवाही मानक पद्धति के अनुसार की जाएगी। कई अवसरों पर समानान्तर दर अनुबन्ध धारक फाल क्लास की आड़ में दरों में कमी की घोषणा कर (दर अनुबन्ध प्राप्त करने के उपरान्त) अनैतिक साधनों से अधिक से अधिक आपूर्ति आदेश हड़पने का प्रयास करते हैं। पिछले

पैराग्राफ में वर्णित, समान तरीके से इस स्थिति से भी निपटा जा सकता है।

17— हालाँकि यह बहुत आवश्यक है कि क्रेता विभागों द्वारा दर अनुबन्ध धारक जो किसी न किसी बहाने दरें कम करते हैं के प्रदर्शन(परफारमेन्स) पर विशेष नजर रखी जाय। यदि उनका प्रदर्शन (परफारमेन्स) स्तरीय नहीं है तो उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही, जिसमें रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण एवं निलम्बन आदि शामिल है की जाय।

दर अनुबन्ध के लिये परफारमेन्स सिक्योरिटी

18— दर अनुबन्ध के विरूद्ध पूर्वानुमानित कुल आहरण एवं आइटम हेतु निर्गत किये जाने वाले पूर्वानुमानित समानान्तर दर अनुबन्धों की संख्या के आधार पर दर अनुबन्ध धारक इकाईयों से यथोचित धनराशि की परफोरमेन्स सिक्योरिटी प्राप्त किये जाने हेतु विभाग विचार करेगा। इस आशय हेतु एक उपयुक्त खण्ड निविदा प्रपत्रों में सम्मिलित किया जायगा। हॉलाकि दर अनुबन्ध के विरूद्ध जारी किये गये आपूर्ति आदेशों के अन्तर्गत परफारमेन्स सिक्योरिटी की मॉग नहीं की जायेगी।

दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति आदेश दिया जाना।

19— दर अनुबन्ध के अन्तर्गत दर अनुबंधित फर्म को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दरें एवं दर अनुबन्ध के अन्य अनुषॉगिक नियम एवं शर्तो को समावेशित करते हुए आपूर्ति आदेश देकर आपूर्ति प्राप्त की जायेगी। ऐसे आपूर्ति आदेश देने वाले अधिकारी सक्षम एवं इस कार्य हेतु अधिकृत होने चाहिए। आपूर्ति आदेशों की प्रतियॉ सभी सम्बधित को पृष्ठॉकित की जायेगी। आपूर्ति आदेशों में सामान्य तौर पर निम्न महत्वपूर्ण विवरण उल्लिखित होते हैं:—

(1) दर अनुबन्ध सं0 एवं दिनॉक

(2) मात्रा (एक से अधिक प्रेषणी (कन्साइनी) होने पर प्रत्येक प्रेषणी को आपूर्ति की जाने वाली मात्रा प्रदर्शित की जायेगी)

(3) दर

(4) आपूर्ति की तिथि जिस तिथि तक आपूर्ति वॉछित है। आपूर्ति आदेश में दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति अवधि के आधार पर निश्चित आपूर्ति तिथि दी जायेगी।

(5) क्रेता विभाग का टेलीफोन नं0, फैक्स नं0 एवं ई—मेल सहित पूरा पता।

(6) टेलीफोन नं0 फैक्स नं0 ई—मेल पूर्ण डाक पता सहित पदनाम प्रेषणी/सामग्री प्राप्त कर्ता अधिकारी का पूर्ण पोस्टल पता।

(7) प्रेषणी का निकटत रेलवे साइडिंग।

(8) रवानगी के निर्देश।

(9) निरीक्षण अधिकारी का पदनाम एवं पता।

(10) भुगतानकर्ता का पदनाम एवं पता जिसे आपूर्ति कर्ता द्वारा बिल उपलब्ध कराये जाने हैं।

दर अनुबन्धों का नवीनीकरण

20— यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी दर अनुबंधित आइटमों हेतु वर्तमान दर अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के ठीक बाद बिना किसी अन्तराल के नया दर अनुबन्ध प्रभावी हो जाय। हालाँकि यदि किसी विशेष कारणवश नया दर अनुबन्ध निर्णीत किया जाना सम्भव नहीं है तो दर अनुबन्ध धारकों की सहमति से वर्तमान दर अनुबन्ध की अवधि उन्ही नियमों एवं शर्तो इत्यादि के साथ समुचित अवधि के लिए बढ़ाने हेतु समय से कदम उठाये जायेगें। जो फर्म/कम्पनीज अवधि बढाने हेतु सहमत नहीं होगी उन्हे दर अनुबन्ध से छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार की बढ़ी अवधि सामान्य तौर पर तीन माह से अधिक नहीं होगी। अविध बढाये जाने के समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि दरों में गिरावट नहीं हो रही है।

दर अनुबन्ध का रद्दीकरण/ निरस्तीकरण

21— स्थाई आफर होने के नाते दर अनुबंधित इकाई द्वारा दर अनुबन्ध रद्द किया जा सकता है साथ ही साथ दर अनुबन्ध की अवधि में निर्धारित नोटिस के माध्यम से क्रेता द्वारा शार्ट क्लोज किया जा सकता है। चूँकि दर अनुबन्ध एक स्थाई आफर है तथा मात्र एक दस्तावेज है जिसमें ठेकेदार द्वारा क्रेता की स्वीकृति हेतु बनायी गयी स्थाई आफर की विभिन्न शर्ते समावेशित है, अतः कोई भी पार्टी यथा ठेकेदार/एस0पी0ओ0 दर अनुबन्ध की अवधि में 30 दिन का नोटिस देकर विधिक रूप से रद्द/निरस्त कर सकती है। ठेकेदार की ओर से दर अनुबन्ध रद्द करने पर क्रेता को रद्द करने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 45 दिन बाद प्रभावी होगा। क्रेता द्वारा दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण, शार्ट क्लोज करने का नोटिस दिये जाने के 45 दिन बाद प्रभावी होगा। दर अनुबन्ध के निरस्तीकरण के उपरान्त ठेकेदार द्वारा कोई आपूर्ति आदेश स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Annexure-1

Rate Contract

1. Rate Contract (commonly known as RC) is an agreement between the purchaser and the supplier for supply of specified goods (and allied services, if any) at specified price and terms and conditions (as incorporated in the agreement) during the period covered by the Rate Contract. No quantity is mentioned nor any minimum drawl is guaranteed in the Rate Contract. The Rate Contract is in the nature of a standing offer from the supplier firm. The firm and/or the purchaser is entitled to withdraw/cancel the Rate Contract by serving an appropriate notice on each other. However, once a supply order is placed on the supplier for supply of a definite quantity in terms of the rate contract during its validity period that supply order becomes a valid and binding contract.
2. The State Purchase Organisation (SPO) shall conclude Rate Contracts with the registered suppliers, for goods of standard types, which are identified as common user items and are needed on recurring basis by various Government departments. The SPO will furnish and update all the relevant details of the Rate Contracts on its website. The departments should operate those Rate Contracts to the maximum extent possible. In case a department directly procures rate contracted goods from the suppliers, the prices to be paid for such goods shall not exceed those stipulated in the Rate Contract and the other salient terms and conditions of the purchase should be in line with those specified in the Rate Contract. The department may make its own arrangement for inspection and testing of such goods, where required.
   The SPO should post the descriptions, specifications, prices and other salient details of all the rate contracted goods, appropriately updated, on its web site for use by the procuring departments.
3. Goods for which Rate Contracts are to be concluded by State Purchase Organisation.
   (1) Commonly used goods needed on recurring basis by various departments.
   (2) Goods for which prices are likely to be stable or where Rate Contracts could be finalized with provision of price variations to account for fluctuation of market rates of raw materials etc.
   (3) Goods for which Rate Contract is convenient to operate and annual drawals are economical.

Note: (1) In case of goods of low value and which are required by the users in very small quantities, Rate Contracts may not be concluded.

Note: (2) Rate Contract may not be concluded for the scarce / critical/ perpetually short supply goods.

Bringing more and more common user items on the Rate Contract

4. The State Purchase Organisation(SPO) shall bring more and more common user items on Rate Contracts. For this purpose, regular interactions should be held by SPO with the trade and the user departments. There shall be a Standing Review Committee (SRC),coordinated by the SPO consisting of representatives of major indenting departments, trade organizations, prospective suppliers, etc., to consider bringing new items on Rate Contracts.

Rate Contracts on the basis of discounts on Net Dealer Price

5. State Purchase organisation will conclude Rate Contracts for Automobiles, Machine Tools, Information Technology Products, OEM and Ancillary Spares and other such products where the design feature, performance, parameters, etc. of such products/goods differ significantly among the products of different manufacturers and even between different models of the same manufacturer and where equitable comparison of prices of such products is not feasible. Such Rate Contracts are to be concluded on discount on Net Dealer Price (NDP) basis.

Period of Rate Contract

6. The period of a Rate Contract should normally be one year for stable technology products. However, in special cases, shorter or longer period may be considered. As far as possible, termination period of Rate Contracts should be fixed in such a way as to ensure that budgetary levies would not affect the price and thereby frustrate the contracts. SPO should also ensure that the Rate Contract remain available without any break.

Criteria for Award of Rate Contract

7. Rate Contracts shall be awarded to the firms who are registered for the goods in question and fulfill the laid down eligibility and qualification criteria including availability of BIS mark, service centers across the State etc. Suitable stipulations are to be incorporated in the tender enquiry documents to this effect. In respect of new items being brought on Rate Contract for the first time where there is no registered supplier (for the subject items), the requirement of registration can be relaxed with the approval of competent authority. The award of such Rate Contracts will, however, be subject to the suppliers' satisfactory technical and financial capability.
8. Some of the tenderers (who are otherwise registered for the subject goods) may also be holding current Rate Contracts and/or held past Rate Contracts for the required goods. Their performance against such earlier/current Rate Contracts shall be critically reviewed before they are considered for award of new Rate Contracts. Specific performance

and achievement criteria as on a selected cut-off date is to be evolved for this purpose and incorporated in the tender enquiry document. The tenderers will be asked to furnish the relevant details (along with their tenders) to enable the purchaser to judge their performance and achievement against the past/current Rate Contracts. These criteria are to be evolved and decided by the purchase department during procurement planning stage for incorporation in the corresponding tender enquiry documents.

Special Conditions applicable for Rate Contracts

9. Some conditions of Rate Contract differ from the usual conditions applicable for ad hoc contracts. Some such important special conditions of Rate Contract are given below:

(1) In the Schedule of Requirement, no quantity is mentioned; only the anticipated drawal may be mentioned without any commitment.

(2) The Store Purchase Organisation reserves the right to conclude more than one Rate Contract for the same item.

(3) The Store Purchase Organisation as well as the supplier may withdraw the Rate Contract by serving suitable notice to each other. The prescribed notice period is generally 30 (thirty) days.

(4) The Store Purchase Organisation has the option to renegotiate the price with the rate contract holders.

(5) In case of emergency, the Purchase department may purchase the same item through ad hoc contract with a new supplier.

(6) Usually, the terms of delivery in Rate Contracts are FOR destination anywhere in Uttar Pradesh. This is so, because the Rate Contracts concluded by Stores Purchase Organisation are to take care of the users spread all over the state.

(7) Supply orders, incorporating definite quantity of goods to be supplied along with all other required conditions following the Rate Contract terms, are to be issued for obtaining supplies through the rate contract.

(8) The purchaser and the authorized users of the Rate Contract are entitled to place supply orders upto the last day of the validity of the Rate Contract and, though supplies against such supply orders will be effected beyond the validity period of the Rate Contract, all such supplies will be guided by the terms and conditions of the Rate Contract.

(9) The rate contract will be guided by 'Fall Clause'.

Parallel Rate Contracts

10. In case it is observed that a single supplier does not have enough capacity to cater to the entire demand of an item, the Rate Contract issuing authority

may enter into more than one Rate Contracts with different suppliers for the same item. Such Rate Contracts are known as Parallel Rate Contracts.

Conclusion of Rate Contracts including Parallel Rate Contracts

11. Techniques for conclusion of Rate Contract are basically identical to that of ad hoc contract (quantity contract). Identical tender documents may be utilized for conclusion of Rate Contracts subject to inclusion therein the special terms and conditions as applicable for Rate Contracts. In the normal course, the Rate Contract is to be awarded to the lowest responsive tenderer (L1). However, depending on the anticipated demand of the item, location of the users, capacity of the responsive bidders, reasonableness of the prices quoted by the responsive bidders, etc. it may become necessary to award parallel Rate Contracts also. For this purpose, a reasonable price band above the L1's price is to be decided and parallel Rate Contracts awarded to the responsive tenderers falling within that price band. Efforts should be made to conclude parallel Rate Contracts with suppliers located in different parts of the State. For the sake of transparency and to avoid any criticism, all such Rate Contracts are to be issued simultaneously.

Price Negotiation/Counter-Offer

12. Price Negotiation with the tenderers should be severely discouraged. However, in case the price quoted by the lowest responsive tenderer (L1) is not reasonable and acceptable, the price may be negotiated with L1 only and, if it reduces the price to the desired level, Rate Contract may be concluded with L1.

13. There may be a situation, where parallel Rate Contracts are needed, but though the price of L1 is reasonable, the number of responsive tenderers falling within the reasonable price band is inadequate. To take care of such situation, the SPO may resort to negotiation and counter offering as indicated below:

To start with, the Rate Contract may be awarded to L1 tenderer. Then the price of L1 is to be counter offered to the higher quoting responsive tenderers under intimation to L1 asking them to send their revised tenders in sealed covers to be opened in public at a specified place, date and time (as per the standard procedure). L1 may be specifically informed that it may, if it so desires, reduce its price and send its revised tender accordingly as above. The tenderers who accepts the counter offer rate or rate lower than that are to be awarded parallel Rate Contracts. If L1 lowers its rate in its revised offer, same may also be accepted with effect from that date and its Rate Contract amended accordingly.

14. There may also be a situation where parallel Rate Contracts are necessary, but even the price of the lowest responsive tenderer (L1) is not reasonable. In that case, price negotiation may be conducted with L1 in the first instance.

If L1 agrees to bring down the price to the desired level, Rate Contract may be concluded with it and that price counter offered to other responsive tenderers under intimation to L1 for further action in identical manner as indicated in the above paragraph. If, however, L1 does not agree to reduce its price in the first instance itself, then the price, which has been decided as reasonable may be counter offered to all the responsive tenderers (including L1) for further action on above lines.

Cartel Formation / Pool Rates

15. Sometimes a group of tenderers quote identical rates against a Rate Contract tender. Such Pool/Cartel formation is against the basic principle of competitive bidding and defeats the very purpose of open and competitive tendering system. Such practices should be severely discouraged with strong measures. Suitable administrative actions like rejecting the offers, reporting the matter to Registrar of Companies, Competition Commission of India, NSIC etc. should be initiated against such firms, on case to case basis, as decided by the competent authority. Departments may also bring such unhealthy practices to the notice of the concerned trade associations like FICCI, ASOCHAM, NSIC, etc. requesting them, inter alia, to take suitable strong actions against such firms. Departments may also encourage new firms/companies to get themselves registered for the subject goods to break the monopolistic attitude of the firms/companies forming cartel.

Fall Clause

16. Fall clause is a price safety mechanism in Rate Contracts. The fall clause provides that if the Rate Contract holder reduces its price or sells or even offers to sell the rate contracted goods following conditions of sale similar to those of the Rate Contract, at a price lower than the Rate Contract price, to any person or organization during the currency of the Rate Contract, the Rate Contract price will be automatically reduced with effect from that date for all the subsequent supplies under the Rate Contract and the Rate Contract amended accordingly. Other parallel Rate Contract holders, if any, are also to be given opportunity to reduce their price as well, by notifying the reduced price to them and giving them 15 (fifteen) days time to intimate their revised prices, if they so desire, in sealed cover to be opened in public on the specified date and time and further action taken as per standard practice. On many occasions, the parallel Rate Contract holders attempt to grab more orders by unethical means by announcing reduction of their price (after getting the Rate Contract) under the guise of Fall Clause. This situation is also to be dealt with in similar manner as mentioned in the preceding paragraph.

17.It is however, very much necessary that the purchase departments keep special watch on the performance of such Rate Contract holders who reduce their prices on one pretext or other. If their performances are not up to the mark, appropriate action should be taken against them including deregistering them, suspending business deals with them, etc.

Performance Security for Rate Contract

18.Depending on the anticipated overall drawal against a rate contract and, also, anticipated number of parallel Rate Contracts to be issued for an item, the department shall consider obtaining performance security of reasonable amount from the Rate Contract holders. A suitable clause to this effect is to be incorporated in the tender enquiry documents. Performance Security shall, however, not be demanded in the supply orders issued against Rate Contracts.

Placement of Supply Orders for Rate Contract

19.Supplies are to be obtained against a Rate Contract by placing supply order on the rate contracted firm containing the quantity of the goods to be supplied and incorporating the prices and other relevant terms and conditions of the Rate Contract. The officials placing such supply orders should be duly competent and authorized to do so. Copies of supply order are to be endorsed to all concerned. A supply order should generally contain the following important details:

(1) Rate Contract No. and date.

(2) Quantity (where there is more than one consignee, the quantity to be dispatched to each consignee is to be indicated).

(3) Price.

(4) Date of Delivery by which supplies are required.
(In the supply order, a definite delivery date based on the delivery period stipulated in the Rate Contract is to be provided).

(5) Full address of the purchase department along with Telephone. No., Fax No. and e- mail address.

(6) Complete and correct designation and full postal address of the consignee(s)/goods receiving officer(s) along with Telephone No(s), Fax No(s) and e-mail addresses.

(7) Nearest Railway Siding (NRS) of the consignee(s).

(8) Dispatch instructions

(9) Designation and address of the inspecting officer.

(10) Designation and address of the paying authority to whom the bills are to be raised by the supplier

Renewal of Rate Contracts

20. It should be ensured that new Rate Contracts are made operative right after the expiry of the existing Rate Contracts without any gap for all rate contracted items. In case, however, it is not possible to conclude new Rate Contracts due to some special reasons, timely steps are to be taken to extend the existing Rate Contracts with same terms, conditions etc. for a suitable period, with the consent of the Rate Contracts holders. Rate Contracts of the firms/companies, who do not agree to such extension are to be left out. Period of such extension should generally not be more than 3 (three) months. Also, while extending the existing Rate Contracts, it shall be ensured that the price trend is not lower.

Revocation / Cancellation of Rate Contracts

21. The Rate Contract(RC) being a standing offer can be revoked by the contractor as well as short-closed by the purchaser at any time during the currency of the rate contract through prescribed notice. Since, the RC is a standing offer and is merely a document embodying various terms of the standing offer made by the contractor for acceptance by the purchaser, either party namely; the contractor/State Purchase Organisation can legally revoke/cancel the rate contract at any time during the currency of the rate contract giving a notice of 30 (thirty) days. The revocation of the rate contract on the part of the contractor shall take effect 45 (forty five) days from the date of communication of revocation is received by the purchaser. The cancellation of the RC by the purchaser shall take effect 45 (forty five) days from the date of issue of letter notifying short-closure. The contractor shall not accept any supply orders after cancellation of the rate contract.